



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64404

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण दोषपूर्ण संख्या - 110/2026

पवन

.....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता: नीरज कुमार श्रीवास्तव, प्रशांत कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 87

माननीय प्रवीण कुमार गिरी, न्यायमूर्ति

संदर्भ: सी.एम. विलंब क्षमा आवेदन संख्या - 1/2026

- वर्तमान पुनरीक्षण 364 दिनों की देरी से दाखिल होने की रिपोर्ट की गई है।
- विलंब क्षमा आवेदन के समर्थन में दिए गए शपथ पत्र में बताए गए कारणों को न्यायालय के संतोषजनक रूप से स्पष्ट किया गया है।
- विलंब क्षमा आवेदन स्वीकार किया जाता है।
- इस पुनरीक्षण को दाखिल करने में हुई देरी को एतद्वारा क्षमा किया जाता है।

संदर्भ: आपराधिक पुनरीक्षण पर आदेश

5. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उन्होंने वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण उस राहत के साथ प्रस्तुत किया है जिसका उल्लेख पुनरीक्षण के प्रार्थना खंड में किया गया है।

6. पुनरीक्षण में उल्लिखित राहत नीचे वर्णित है:-

"इसलिए अत्यंत सम्मानपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपया वर्तमान पुनरीक्षण को स्वीकार करने और अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय मथुरा द्वारा वाद संख्या-65/2022 (श्रीमती राजकुमारी एवं अन्य बनाम पवन) धारा-125 दंड प्रक्रिया संहिता, थाना-हाईवे शहर, जिला-मथुरा में पारित आक्षेपित निर्णय/आदेश दिनांक 16.10.2024 को निरस्त करने की कृपा करे, जिसके द्वारा अवर न्यायालय ने तथ्यों, अभिलेख पर मौजूद सामग्री और कानून के कानूनी पहलुओं पर विचार किए बिना प्रत्यर्थी संख्या-2 के आवेदन 14-बी को स्वीकार कर लिया और यह निर्देशित किया कि वाद के लंबित रहने के दौरान पुनरीक्षणकर्ता प्रत्यर्थी संख्या-2 को 3000/- रुपये और नाबालिग बच्चों को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में 1,000/- रुपये प्रति माह, कुल 6,000/- रुपये का भुगतान 10.01.2024 से करे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



यह आगे प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय वाद संख्या-65/2022 (श्रीमती राजकुमारी एवं अन्य बनाम पवन) धारा-125 दंड प्रक्रिया संहिता, थाना-हाईवे शहर, जिला-मथुरा की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की कृपा करे, जिसके द्वारा अवर न्यायालय ने तथ्यों, अभिलेख पर मौजूद सामग्री और कानून के कानूनी पहलुओं पर विचार किए बिना प्रत्यर्थी संख्या-2 के आवेदन 14-बी को स्वीकार कर लिया है, उपरोक्त पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान, और/या ऐसा अन्य और आगे का आदेश पारित करे, जो यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे, अन्यथा पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक को अपूरणीय क्षति और हानि होगी।”

7. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पुनरीक्षणकर्ता भरण-पोषण के बकाया में से एक बार में 1 लाख रुपये जमा करने के लिए तैयार है और अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, मथुरा द्वारा आदेश दिनांक 16.10.2024 के माध्यम से दिए गए निर्देशों के अनुसार पत्नी के साथ-साथ नाबालिग बच्चों को नियमित मासिक भरण-पोषण राशि का भुगतान भी करेगा। उन्होंने आगे प्रार्थना की कि उपरोक्त वचनबद्धता पर, बकाया में से भुगतान न की गई शेष राशि को धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दायर आवेदन के अंतिम निपटारे तक स्थगित रखा जाए।

8. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि नियमित मासिक भरण-पोषण के भुगतान में चूक करने या अप्रैल, 2026 के महीने में 1 लाख रुपये की राशि जमा न करने की स्थिति में इस आदेश का लाभ स्वतः समाप्त हो जाएगा।

9. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के आश्वासन और वचनबद्धता पर, यह न्यायालय अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, मथुरा को निर्देशित करता है कि वे पुनरीक्षणकर्ता को भरण-पोषण के बकाया में से एक बार में 1 लाख रुपये जमा करने और अप्रैल, 2026 के महीने से पत्नी और बच्चों को नियमित मासिक भरण-पोषण जमा करने की अनुमति दें।

10. यदि पुनरीक्षणकर्ता भरण-पोषण की बकाया राशि में से 1 लाख रुपये जमा करता है और अप्रैल, 2026 के महीने से नियमित मासिक भरण-पोषण का भुगतान जारी रखता है, तो अंतरिम भरण-पोषण का शेष बकाया धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दायर आवेदन के अंतिम निपटारे तक स्थगित रखा जाएगा।

11. यदि पुनरीक्षणकर्ता अंतरिम भरण-पोषण के बकाया में से 1 लाख रुपये जमा करने में विफल रहता है या नियमित मासिक भरण-पोषण का भुगतान करने में विफल रहता है, तो आज दी गई अंतरिम राहत स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और संबंधित पारिवारिक न्यायालय पुनरीक्षणकर्ता को सिविल जेल भेजकर और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रजनीश बनाम नेहा; (2021) 2 एससीसी 324 में निर्धारित कानून के अनुसार धन डिक्री के रूप में राशि की वसूली करके अंतरिम भरण-पोषण आदेश को निष्पादित करने के लिए आगे बढ़ेगा, और अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, मथुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2024 के संदर्भ में राशि की वसूली के लिए पुनरीक्षणकर्ता की संपत्ति को कुर्क भी कर सकता है।

12. अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, मथुरा को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे कानून के अनुसार दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दायर आवेदन का शीघ्रता से निर्णय करें।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



13. तदनुसार, पुनरीक्षण का निपटारा किया जाता है।

(प्रवीण कुमार गिरी, न्यायमूर्ति)

28 मार्च, 2026

के. तिवारी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"